(3)

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 23/18 3/11
Name and address of the Complainant
As I
500 200
(6) 1-16 17 12 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Name, parentage, caste and address of accused
-4.6371 anna 851251371
कार्या है समझाये जाने पर अध्यक्त ने देवाच
4 billyativ sepulate
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक <i>511</i> मुकाम भूजन्द्रिक के अपने
में उन्हें प्रकर है। देश है। वर विनी वह अनुशाया पर
आहिएत्य में टें लीटर /पाव / बोतल देरे शराब विकय / परिवर्हन हतु रखा।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।
क्या आपको उक्त अपराध रवीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
The state of the s
हरता वास्तर है प्रथम अपन
The plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है! न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
The state of the s
Ettil della man
HILLIAN MOUNT

(आज दिनांक 31-1/18 को घोषित)

अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया। संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के 02 आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभितेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं। अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने 03. तक की अवधि तक की संजा एवं रूपये । जलप्राद्धों में ... के इंडर एक अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड । पटाये जाने पर का साधारण कारवास की सजा भुगतायी जावे। जप्तशुदा सम्पत्ति 20 सीस्र/पाव/बोतल प्रेंडिंग शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार मान की जावेर अपील हो की भागे भागे अपील न्यायालय के आदेश का